हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय

चालक के पदों के स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए उम्मीदवारों को निर्देश

उम्मीदवार को निम्नलिखित निर्देशों को पढ़ना चाहिए:

1. (ए) हॉल **टिकट / प्रवेश पत्र डाउनलोड करने से पहले** उम्मीदवार को **'माई अकाउंट '**के तहत दिए गए उपयुक्त लिंक पर अपने व्यक्तिगत प्रोफाइल में बहुत सावधानी से विसंगतियों की जांच करनी चाहिए, यदि कोई हो, तो उसे हि०प्र० उच्च न्यायालय के ध्यान में मेल के जरिए बिना समय गंवाए लाना चाहिए । उसे अपना प्रवेश पत्र परीक्षा हॉल में लाना होगा, ऐसा न करने पर उसे परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

   (बी) उम्मीदवार को चेतावनी दी जाती है कि वह प्रवेश पत्र की सुरक्षित अभिरक्षा के लिए जिम्मेदार है और परीक्षा में प्रवेश पाने के लिए किसी अन्य व्यक्ति द्वारा उसके प्रवेश पत्र का उपयोग किए जाने की स्थिति में, यह साबित करने की जिम्मेदारी उम्मीदवार पर है कि उसने प्रतिरूपधारक की सेवाए नहीं ली है।

   (सी) **एक उम्मीदवार को केंद्र में, उसे आवंटित** बैच और समय स्लॉट **में ही उपस्थित होने की अनुमति है।**

   (डी) हॉल **टिकट/प्रवेश पत्र** पर दिए गए स्थान पर पासपोर्ट आकार का नवीनतम स्व-सत्यापित फोटोग्राफ चिपकाना आवश्यक है। किसी भी उम्मीदवार को **हॉल टिकट/प्रवेश पत्र** और उस पर विधिवत चिपकाए गए नवीनतम पासपोर्ट आकार के स्वप्रमाणित फोटो के बिना परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

   (इ) उम्मीदवारों को अपने साथ पहचान प्रमाण /आईडी कार्ड (**अर्थात आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस , वोटर आईडी या किसी मान्यता प्राप्त संगठन का आईडी आदि**) लाना भी आवश्यक है।

2. उम्मीदवार को यह ध्यान रखना चाहिए कि उसका दाखिला पूरी तरह अस्थाई है और आवेदन पत्र पर उसके द्वारा किए गए दावों के आधार पर है। उच्च न्यायालय केवल उम्मीदवारों की प्रवीणता परीक्षा के समय मूल दस्तावेजों के संदर्भ में पात्रता शर्तों और आरक्षण दावों आदि का सत्यापन करेगा, जो स्क्रीनिंग टेस्ट के परिणाम के आधार पर पास होंगे।

3. यदि स्क्रीनिंग टेस्ट और प्रवीणता परीक्षा से पहले या बाद में किसी भी स्तर पर अपात्रता का पता चलता है या यदि परीक्षा के लिए विज्ञापन नोटिस में दिए गए नियमों और निर्देशों में निर्धारित शर्तों का अनुपालन नहीं किया जाता है या किसी भी चरण में किसी भी समय अतिरिक्त जानकारी / दस्तावेज की मांग की जाती है निर्दिष्ट समय के भीतर नहीं दिया जाए ,तो उसे परीक्षा / मौखिक परीक्षा देने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

4. अभ्यर्थी को परीक्षा शुरू होने के निर्धारित समय से 30 मिनट पहले परीक्षा हॉल /कक्ष में प्रवेश करना होगा और **कार्बन रहित ओएमआर** उत्तर पत्रक परीक्षा शुरू होने से 10 मिनट पहले दिया जाएगा। ओएमआर उत्तर पत्रक को सावधानी से संभालना चाहिए। इसे विकृत या फाड़ा नहीं जाए।

5. परीक्षा शुरू होने के **10 मिनट** बाद किसी भी उम्मीदवार को परीक्षा हॉल में प्रवेश नहीं दिया जाएगा **।** पूर्ण आवंटित समय की समाप्ति तक किसी भी उम्मीदवार को परीक्षा हॉल छोड़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

6. बैग ,मोबाइल फोन ,पेजर ,किताबें या कोई अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, जो संचार या गणना उपकरणों आदि के रूप में उपयोग किए जा सकते हैं, को परीक्षा केंद्र के अंदर ले जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसलिए , उनकी सुरक्षित अभिरक्षा की व्यवस्था का आश्वासन नहीं दिया जा सकता है। **उम्मीदवारों को अपने साथ केवल प्रवेश पत्र ,पहचान प्रमाण /आईडी** (**यानी आधार कार्ड ,ड्राइविंग लाइसेंस ,वोटर आईडी या किसी मान्यता प्राप्त संगठन की आईडी आदि**)**, पेन ,बॉल पॉइंट पेन, पेंसिल और क्लिप बोर्ड ले जाने की अनुमति होगी।**

7. उच्च न्यायालय अधिकृत ओएमआर उत्तर पत्रक को छोड़कर अन्य लेखन सामग्री की आपूर्ति नहीं करेगा। परीक्षा में रफ कार्य के लिए वर्किंग शीट प्रश्न पुस्तिका के अंत में उपलब्ध होगी।

8. उम्मीदवार को अपना नाम (बड़े अक्षरों में), रोल नंबर, श्रेणी, परीक्षा का नाम, परीक्षा की तारीख़ और परीक्षा केंद्र का नाम, ओएमआर उत्तर पत्रक में सबसे उपर दिए गए स्थान में बॉल प्वाइंट पेन के साथ निर्धारित खाने /

कॉलम में लिखना होगा। ओएमआर उत्तर पुस्तिका में दिए गए खाने और घेरे को केवल नीले या काले बॉल प्वाइंट पेन से ही भरा / इनकोड किया जाना है।

9. अभ्यर्थी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि यदि प्रश्न-पुस्तिका या उत्तर -पत्रक विकृत पाई जाती है , तो वह तुरंत निरीक्षक को मामले की सूचना दें और प्रश्न-पुस्तिका /उत्तर पत्रक को बदलवा लें। प्रश्न-पुस्तिका पर उसके रोल नंबर के अलावा कुछ भी नहीं लिखा होना चाहिए। प्रश्न पुस्तिका और ओएमआर उत्तर पत्रक पर दिए गए निर्देशों को ध्यान से पढ़ना चाहिए।

10. किसी भी उम्मीदवार को ओएमआर उत्तर पत्रक पर अपने उत्तर को बदलने /मिटाने के लिए सफेद तरल / रबर का उपयोग करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

11. इस परीक्षा को देने के लिए उच्च न्यायालय द्वारा कोई टीए / डीए का भुगतान नहीं किया जाएगा।

12. **हॉल टिकट/प्रवेश पत्र** (नवीनतम पासपोर्ट आकार के फोटो के साथ विधिवत स्वप्रमाणित, इस उद्देश्य के लिए प्रदान की गई जगह पर चिपका हुआ), परीक्षा शुरू होने पर निरीक्षक को सौंप दिया जाना चाहिए।

13. **दो घंटे** की अवधि के पेपर की प्रश्न-पुस्तिका में **100** वस्तुनिष्ठ (बहुविकल्पीय) प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न के लिए प्रश्न-पुस्तिका में ही चार उत्तर दिए जाएंगे।

14. इस वस्तुनिष्ठ प्रकार की परीक्षा में उम्मीदवार को प्रश्न पुस्तिका में दिए गए चार विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर का चयन करना होता है। उदाहरण के लिए ,चार विकल्पों में से हिमाचल प्रदेश की राजधानी के उचित नाम का उल्लेख करने के मामले में।(ए) मंडी, (बी) शिमला, (सी) बिलासपुर, (डी) चंबा, सबसे उपयुक्त (बी) को ओएमआर शीट में बॉल प्वाइंट पेन के साथ काला / घेरे में लिया जाना है- :

ऐ	बी	सी	डी
O	●	O	O

15. (ए) यदि उम्मीदवार को परीक्षा या पेपर के संचालन के संबंध में कोई आपत्ति है, उसे सलाह दी जाती है कि परीक्षा समाप्त होने के तुरंत बाद वह रजिस्ट्रार भर्ती, हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय, शिमला को केंद्र अधीक्षक के माध्यम से अभिवेदन लिखित रूप में दे सकता है। इसके बाद किसी भी अभिवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।

(बी) स्क्रीनिंग टेस्ट की किसी भी मामले में पुन: जांच/ पुनर्मूल्यांकन की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(सी) हालांकि, उम्मीदवार इस संबंध में परीक्षा केंद्र पर कोई शोर-शराबा या कोई उपद्रवी दृश्य नहीं बनाएंगे। यदि कोई अभ्यर्थी इस निर्देश का उल्लंघन करते पाया जाता है, तो उसे उस परीक्षा के लिए माननीय परीक्षा समिति द्वारा अयोग्य घोषित किया जा सकता है और भविष्य में हिमाचल प्रदेश के उच्च न्यायालय द्वारा आयोजित की जाने वाली किसी अन्य परीक्षा से भी वंचित किया जाएगा।

(डी) ऐसे बहिष्कृत अभ्यर्थियों को काली सूची में डालने के लिए, ऐसे अभ्यर्थियों का विस्तृत विवरण उच्च न्यायालय की वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा।

16. इस स्क्रीनिंग टेस्ट की उत्तर कुंजी **उत्तर पुस्तिकाओं को फ्रीज करने के बाद** उच्च न्यायालय की आधिकारिक वेबसाइट पर प्रदर्शित की जाएगी । तीन दिनों के भीतर ऑनलाइन माध्यम से प्राप्त आपत्तियों, यदि कोई हो, पर ही विचार किया जाएगा। इसके अलावा किसी भी प्रकार के अन्य पत्राचार पर विचार नहीं किया जाएगा।

17. उम्मीदवारों का ध्यान अनुचित साधनों के प्रयोग पर रोक से संबंधित कानूनों की ओर आकर्षित किया जाता है। अनुचित साधनों का प्रयोग अपराध है। किसी भी परीक्षार्थी को अनुचित साधनों का उपयोग करते हुए पाए जाने पर उसके उपर वर्तमान और साथ ही भविष्य की परीक्षाओं से वंचित करने के अलावा संबंधित कानून के प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी।

18. उम्मीदवारों को सरकार द्वारा समय- समय पर जारी किए गए कोविड-19 दिशानिर्देशों का पालन करना आवश्यक है।

****